



संख्या-64/2026/29/69-1-2026-1903970

प्रेषक,

लाल मणि यादव,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 09 फरवरी, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-मुरादाबाद की 22 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4150/छ:/विविध/(द्वितीय किशत)/2022-23-वाल्यूम-2, दिनांक 05.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-145/2025/460/69-1-25-1903970 ,दिनांक 17.03.2025 द्वारा जनपद-मुरादाबाद की 22 परियोजनाओं हेतु रु0 174.211 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत अर्थात रु0 87.1055 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किशत की धनराशि रु0 86.3145 लाख (रूपये छियासी लाख इकतीस हजार चार सौ पचास मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु0 में)

| क्र०सं० | जनपद का नाम | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड कानाम/कार्य का विवरण। | परियोजना की कुललागत | सेंटेज सहित निविदा की धनराशि | प्रथम किशत के रूप में निर्गत धनराशि | द्वितीय/ अंतिम किशत के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि (कॉलम 6-7) |
|---------|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2           | 3            | 4                                 | 5                   | 6                            | 7                                   | 8                                                                      |

|   |           |       |                                                                                                                                                                       |       |       |        |        |
|---|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-05 विषिष्ट बिहार<br>कालौनी मे पेट्रोल पम्प की<br>दीवार सेरवि पाडे के मकान<br>तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स<br>रोड व नाली निर्माण कार्य।        | 6.75  | 6.72  | 3.375  | 3.345  |
| 2 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-05 विशिष्ट बिहार कालौनी<br>मे शिव मंन्दिर से सुभम<br>पाडे तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स<br>रोड व नाली निर्माण कार्य।                           | 4.72  | 4.7   | 2.36   | 2.34   |
| 3 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-05 विषिष्ट बिहार कालौनी<br>मे जयविन्द्र पांडे के मकान से<br>राकेश पांडे के मकान तक<br>इण्टर लॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण कार्य। | 5.34  | 5.13  | 2.67   | 2.46   |
| 4 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>मुकेश के मकान से अंकित<br>शर्मा के मकान तक इण्टर<br>लॉकिंग टाईल्स रोड व नाली<br>निर्माण कार्य।                | 5.95  | 5.93  | 2.975  | 2.955  |
| 5 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 जयन्तीपुर मे राजेन्द्र<br>के मकान से उमेश के मकान<br>तक सी०सी० इण्टरलॉकिंग<br>टाईल्स रोड व नाली निर्माण<br>कार्य।                   | 6.531 | 6.5   | 3.2655 | 3.2345 |
| 6 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>राहुल के मकान से गजेन्द्र<br>के मकान तक सी०सी०<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण।                   | 12.18 | 12.17 | 6.09   | 6.08   |
| 7 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>पूनम के मकान से भयाम के<br>मकान तक सी०सी०<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण कार्य।                  | 11.05 | 11.04 | 5.525  | 5.515  |

|    |           |       |                                                                                                                                                              |       |       |       |       |
|----|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 8  | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>दिनेश कुमार के मकान से<br>उमेश केमकान तक सीसी<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण कार्य।     | 10.67 | 10.57 | 5.335 | 5.235 |
| 9  | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>विनीत के मकान से सतीश के<br>मकानतक इण्टर लॉकिंग<br>टाईल्स रोड व नाली निर्माण<br>कार्य।               | 5.71  | 5.68  | 2.855 | 2.825 |
| 10 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>आशू के मकान से पंडित जी<br>केमकान तक इण्टर लॉकिंग<br>टाईल्स रोड व नाली निर्माण<br>कार्य।             | 7.56  | 7.53  | 3.78  | 3.75  |
| 11 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>वीरेन्द्र के मकान से रिकूशर्मा<br>के मकान तक इण्टरलॉकिंग<br>टाईल्स रोड व नाली निर्माण<br>कार्य।      | 7.46  | 7.43  | 3.73  | 3.7   |
| 12 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>स्वराज के मकान से ममता<br>ठाकुरके मकान तक<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण कार्य।         | 7.02  | 6.99  | 3.51  | 3.48  |
| 13 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-05 भटावली मे संतोश के<br>मकान से जयपाल के मकान<br>तकसी०सी० इण्टरलॉकिंग<br>टाईल्स रोड व नाली निर्माण<br>कार्य।                 | 6.15  | 6.13  | 3.075 | 3.055 |
| 14 | मुरादाबाद | न०नि० | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं०-05 भटावली मे ओमप्रकाश<br>सिंह के मकान से हीरालाल<br>पंडित केमकान तक सी०सी०<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण कार्य। | 7.44  | 7.41  | 3.72  | 3.69  |

|    |           |                    |                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |
|----|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 15 | मुरादाबाद | न0नि0<br>मुरादाबाद | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं0-05 भटावली मे नथू के<br>मकान से नेतराम के मकान<br>तक सी०सी० इण्टरलॉकिंग<br>टाईल्स रोड व नाली निर्माण<br>कार्य।                            | 8.41  | 8.38  | 4.205 | 4.175 |
| 16 | मुरादाबाद | न0नि0<br>मुरादाबाद | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं0-05 भटावली मे भूरे सिंह<br>के मकान से रंधावा सिंह के<br>मकान तक सी०सी०<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण                        | 10.19 | 10.15 | 5.095 | 5.055 |
| 17 | मुरादाबाद | न0नि0<br>मुरादाबाद | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं0-05 भटावली मे सुदर्शन के<br>मकान से तेजवीर सिंह के<br>मकान तक सी०सी०<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण कार्य।                   | 6.12  | 6.09  | 3.06  | 3.03  |
| 18 | मुरादाबाद | न0नि0<br>मुरादाबाद | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं0-05 विशिष्ट बिहार कालौनी<br>मे सौरभ पांडे के मकान<br>से हरपाल के मकान तक<br>सी०सी० इण्टर लॉकिंग टाईल्स<br>रोड व नाली निर्माण कार्य।       | 10.57 | 10.56 | 5.285 | 5.275 |
| 19 | मुरादाबाद | न0नि0<br>मुरादाबाद | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं0-53 मानपुर नरायणपुर मे<br>अंकित कुमार के मकान से<br>विमल के मकान तक सी०सी०<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स रोड व<br>नाली निर्माण कार्य।             | 10.75 | 10.73 | 5.375 | 5.355 |
| 20 | मुरादाबाद | न0नि0<br>मुरादाबाद | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं0-53 जयन्तीपुर मे सोनी<br>शर्मा के मकान से सुहेल के<br>मकान तक सी०सी०<br>इण्टरलॉकिंग टाईल्स सडक व<br>नाली निर्माण कार्य ।                  | 4.72  | 4.7   | 2.36  | 2.34  |
| 21 | मुरादाबाद | न0नि0<br>मुरादाबाद | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>सं0-05 विषिष्ट बिहार कालौनी<br>मे राकेश पांडे के मकान<br>से महेश पांडे के मकान तक<br>सी०सी० इण्टरलॉकिंग टाईल्स<br>सडक व नाली निर्माण कार्य । | 5.84  | 5.82  | 2.92  | 2.9   |

|    |                 |                                                                                                                                                                       |               |               |                |                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 22 | मुरादाबाद न0नि0 | नगरनिगम मुरादाबाद वार्ड<br>मुरादाबाद स0-53 मानपुर नरायणपुर<br>मे तेजपाल के मकान से<br>लेखराज केमकान तक सी०<br>सी० इण्टरलॉकिंग टाईल्स<br>सडक व नाली निर्माण<br>कार्य । | 13.08         | 13.06         | 6.54           | 6.52           |
|    |                 | <b>कुलयोग</b>                                                                                                                                                         | <b>174.21</b> | <b>173.42</b> | <b>87.1055</b> | <b>86.3145</b> |

(रूपये छियासी लाख इकतीस हजार चार सौ पचास मात्र)

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
  11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
  12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
  14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
  15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
  16. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
  17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।
  18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच०डी०एफ०सी० बैंक/शिड्यूल् बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
  19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा का होगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या -37 लेखा शीर्षक 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)  
उपसचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुरादाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

(लाल मणि यादव)  
उप सचिव।